बिहार सरकार
सामान्य प्रशासन विभाग
:: संकल्प ::

पटना–15 दिनांक........................

श्री सुनील कुमार, बि0प्र0से0, कोटि क्रमांक–01/2019, (362/2011), तत्कालीन प्रखंड विकास पदाधिकारी, मुरलीगंज, मधेपुरा सम्प्रति सेवानिवृत के विरूद्ध जिला पदाधिकारी, मधेपुरा के पत्रांक–1038, दिनांक–20.08.2008 एवं पत्रांक–1023, दिनांक–14.08.2008 द्वारा अनाधिकृत रूप से अनुपस्थित रहने एवं गंभीर वित्तीय अनियमितता बरतने का आरोप प्रतिवेदित किया गया।

2. उक्त प्रतिवेदित आरोपों के लिए श्री कुमार के विरूद्ध संकल्प ज्ञापांक–7772, दिनांक–10.08.2010 द्वारा विभागीय कार्यवाही संचालित की गई। संचालन पदाधिकारी से प्राप्त जांच प्रतिवेदन के आलोक में प्रमाणित आरोपों के लिए संकल्प ज्ञापांक–11485, दिनांक–13.10.2011 द्वारा श्री कुमार को (i) पाँच वेतनवृद्धियाँ संचयात्मक प्रभाव से रोके जाने एवं (ii) निलम्बन अवधि में जीवन निर्वाह भत्ता के अतिरिक्त कुछ भी देय नहीं होने का दंड अधिरोपित/संसूचित किया गया।

3. उक्त दंडादेश के विरूद्ध श्री कुमार द्वारा माननीय उच्च न्यायालय, पटना में सी0डब्ल्यू0जे0सी0संख्या–10078/2012 दायर किया गया, जिसमें माननीय न्यायालय द्वारा दिनांक–03.01.2024 को पारित न्यायादेश में श्री कुमार के विरूद्ध संसूचित दंडादेश को निरस्त करते हुए विधि सम्मत तरीके से नये सिरे से कार्यवाही संचालित करने का आदेश दिया गया।

4. माननीय उच्च न्यायालय, पटना द्वारा पारित उक्त न्यायादेश के अनुपालन में विभागीय संकल्प ज्ञापांक–6232, दिनांक–18.04.2024 द्वारा श्री कुमार को अधिरोपित दंड को वापस लिया गया तथा न्यायादेश के अनुरूप पुनः नये सिरे से बिहार पेंशन नियमावली, 1950 के नियम–43(बी) के तहत आरोपों की जाँच हेतु विभागीय कार्यवाही संचालित की गयी।

5. संचालन पदाधिकारी–सह–आयुक्त, भागलपुर प्रमंडल, भागलपुर के पत्रांक–251/गो0, दिनांक–03.06.2025 द्वारा जांच प्रतिवेदन प्राप्त हुआ। जाँच

प्रतिवेदन में प्रमाणित पाये गये आरापों पर विभागीय पत्रांक–11380, दिनांक–24.06.2025 द्वारा श्री कुमार से लिखित अभिकथन/अभ्यावेदन की मांग की गई। उक्त के आलोक में श्री कुमार का लिखित अभिकथन/अभ्यावेदन (दिनांक–08.07.2025) प्राप्त हुआ।

6. तदुपरांत श्री कुमार के विरूद्ध प्रतिवेदित आरोप, संचालन पदाधिकारी से प्राप्त जांच प्रतिवेदन एवं श्री कुमार द्वारा समर्पित लिखित अभिकथन की समीक्षा अनुशासनिक प्राधिकार के स्तर पर की गयी। सम्यक विचारोपरांत पाया गया कि" रोकड़ पंजी एवं विभिन्न अभिलेख अद्यतन नहीं थे। साथ ही, श्री कुमार द्वारा बिना अवकाश आवेदन स्वीकृत कराये अवकाश पर प्रस्थान किया गया, जो इनकी मनमानेपन एवं स्वेच्छाचारिता को दर्शाता है।"

7. उपर्युक्त वर्णित तथ्यों के आलोक में श्री कुमार के लिखित अभिकथन को अस्वीकृत करते हुए संचालन पदाधिकारी द्वारा प्रमाणित पाये गये आरोपों के लिए बिहार पेंशन नियमावली, 1950 के नियम–43(बी) के प्रावधानों के तहत श्री कुमार के **"पेंशन से 05(पाँच) प्रतिशत की कटौती 02(दो) वर्षों तक करने"** का दंड अधिरोपित करने का निर्णय अनुशासनिक प्राधिकार द्वारा लिया गया।

8. अनुशासनिक प्राधिकार द्वारा विनिश्चित उक्त दंड प्रस्ताव पर विभागीय पत्रांक–15287, दिनांक–18.08.2025 द्वारा बिहार लोक सेवा आयोग से परामर्श/सहमति की मांग की गयी। बिहार लोक सेवा आयोग के दिनांक–26.12.2025 को आहूत पूर्ण पीठ की बैठक में श्री कुमार के विरूद्ध अनुशासनिक प्राधिकार द्वारा विनिश्चित दंड प्रस्ताव (**यथा पेंशन से 05 प्रतिशत की कटौती 02(दो) वर्षों तक करने**) पर सहमति व्यक्त किया गया। उक्त परामर्श/सहमति बिहार लोक सेवा आयोग के पत्रांक–4170, दिनांक–19.01.2026 द्वारा विभाग को उपलब्ध कराया गया है।

9. अतएव उपर्युक्त वर्णित तथ्यों के आलोक में श्री सुनील कुमार, बि0प्र0से0, कोटि क्रमांक–01/2019, (362/2011) तत्कालीन प्रखंड विकास पदाधिकारी, मुरलीगंज, मधेपुरा सम्प्रति सेवानिवृत को बिहार पेंशन नियमावली–1950 के संगत प्रावधानों के

तहत **"पेंशन से 05 प्रतिशत की कटौति 02(दो) वर्षों तक करने"** का दंड अधिरोपित एवं संसूचित किया जाता है।

आदेशः—आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प की प्रति बिहार राजपत्र के अगले अंक में प्रकाशित किया जाय तथा इसकी प्रति सभी संबंधित को भेज दी जाय।

बिहार राज्यपाल के आदेश से,

ह0/–

(उमेश प्रसाद)

सरकार के अवर सचिव।

स्पीड पोस्ट

ज्ञापांक–08/ आरोप–01–03/2024, सा०प्र० 2101 पटना–15, दिनांक 30-1-26

प्रतिलिपिः–महालेखाकार, लेखा एवं हकदारी, बिहार, पटना/वित्त (वैयक्तिक दावा निर्धारण कोषांग) बिहार, पटना/संचालन पदाधिकारी–सह–आयुक्त, भागलपुर प्रमंडल, भागलपुर/सचिव, बिहार लोक सेवा आयोग, पटना/जिला पदाधिकारी, मधेपुरा /भागलपुर/कोषागार पदाधिकारी, पटना/मधेपुरा/श्री सुनील कुमार, बि०प्र०से०, कोटि क्रमांक–01/2019, (362/2011) सम्प्रति निलंबित, पता–शिवासा हाउस, शान्ति कॉलोनी, स्टील गेट, सरायढेला, धनबाद, पिन कोड–828127, मो0 नं0–8340212908 /अवर सचिव, प्रभारी प्रशाखा–12, 14, 29 एवं आई.टी. मैनेजर (शीर्ष–09 के अंतर्गत विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु) सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

29.1.26

सरकार के अवर सचिव।

Com-14 E:\Office data\Prad Kr\Sankalap.docx